

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0-02/24-59/2012-584

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 18-05-2022

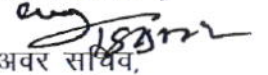
विषय:- बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार बिषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता	प्रशिक्षण-अवधि	संबंधित जिला पदा0/समा0 द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर ह0 की तिथि
01	श्री विवेक यादव, परीक्ष्यमान अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	24.02.2022 से 04.04.2022 तक	06.04.2022

विश्वासभाजन,

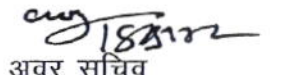

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

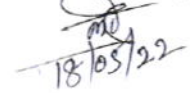
ज्ञापांक:- सं0सं0-2/24-59/2012-584

पटना, दिनांक- 18-05-2022

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं श्री विवेक यादव, परीक्ष्यमान अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।


18/05/22